



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 579 राँची, गरुवार, 28 कार्तिक, 1942 (श०)
19 नवम्बर, 2020 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

विषय:-मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन), झारखण्ड के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण के संबंध में।

सं०सं०-सी०एस०-01/सलाहकार (नियुक्ति)-15/20201330--मुख्यमंत्री को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान करने तथा राज्य में विकास कार्यों को लक्ष्यानुरूप गतिशील बनाने हेतु मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन) के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु उनके वेतनादि तथा सेवाशर्त निर्धारित किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन), झारखण्ड के लिये वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

- (i) राज्य के परामर्शी (विकास) के पद को सुषुप्तावस्था में रखकर उसे मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन) के रूप में पुनर्नामित किया जाता है।
- (ii) मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन) का संदर्भित पद सरकार के सचिव स्तर का होगा।
- (iii) मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन) का वेतन सरकार के सचिव के वेतनमान PB-iv- 37,400-67,000 रुपये, ग्रेडपे-10,000 (छठा वेतनमान) का नियत वेतन (Entry Pay) 53,000 रुपये तथा 7वें वेतनमान के अनुसार Pay Matrix Level-14 में नियत वेतन (Entry Pay) ₹0 1,44,200/- होगा। साथ ही राज्य सरकार के पदाधिकारी को अनुमान्य सभी भत्ते एवं सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।
- (iv) इनके वेतनादि की निकासी मुख्यशीर्ष-2013-लघुशीर्ष-101- उपशीर्ष-01- मंत्रीगण मद से की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव
